

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृत्ति/जोन-उदयपुर/03-01210/2025/

दिनांक:-

**:-आदेश:-**

निम्नांकित कार्गिक, जो 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	शान्तमा पी.के.	नर्सिंग ऑफिसर	बांसवाडा	24.05.1965	31.05.2025
2	लक्ष्मी देवी मीणा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सलूमबर	30.06.1965	30.06.2025
3	रमिला कुमारी	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	राजसमन्द	20.07.1965	31.07.2025

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 01 से 03 पर अंकित कार्गिकों के विरुद्ध:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृत्ति/जोन-उदयपुर/03-01210/2025/46

दिनांक:-20-02-2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ई.एस.आई. योजना, जयपुर।
- संबंधित नियंत्रण/प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
- प्रशासनिक अधिकारी, टी0सी0 अनुभाग, मुख्यालय।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date: 19-02-2025 06:08:43

पता:- स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर  
(फोन नं - 141-2222683 ई मेल-add4ng@gmail.com)